

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1952] No. 1952] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

का.आ. 2623(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45यक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होकर 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अविध के लिए निम्नानुसार मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है:

मुद्रास्फीति लक्ष्य

चार प्रतिशत।

ऊपरी सहन स्तर

: छह प्रतिशत।

निम्न सहन स्तर

: दो प्रतिशत।

[फा. सं. 12/1/2016-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार

3884 GI/2016 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

S.O. 2623(E).—In exercise of the powers conferred by section 45ZA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government, in consultation with the Bank, hereby notifies the inflation target for the period beginning from the date of publication of this notification and ending on the March 31, 2021, as under:

Inflation Target : Four per cent.

Upper tolerance level : Six per cent.

Lower tolerance level : Two per cent.

[F. No. 12/1/2016-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser